भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 255
उत्तर देने की तारीख: 22.07.2025

दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण

255. श्रीमती संजना जाटव:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में दिव्यांगजनों को कौशल प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके रोजगार का प्रतिशत कितना है; और

(ग) सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 दिनांक 19.04.2017 से प्रभावी है, इसमें दिव्यांगताओं को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसमें और समानता, शिक्षा, रोजगार और सुगम्यता जैसे अधिकारों को सुनिश्चित किया है। इसमें धारा 34 के तहत सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% और धारा 32 के तहत उच्च शिक्षा में बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण अधिदेशित है। यद्यपि राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करना राज्यों का विषय है, तथापि, केंद्र सरकार सिपडा, एडिप, डीडीआरएस और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सशक्तिकरण में सहायता प्रदान करता है।

(ख): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) का कार्यान्वयन करता है। इस योजना के अंतर्गत, विभाग के साथ प्रशिक्षण भागीदार (ईटीपी) के रूप में पैनलबद्ध देश भर के विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

एनएपी-एसडीपी योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और देश भर के पैनलबद्ध संगठनों को उनकी मांगों/प्रस्तावों के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। भरतपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

योजना के शुभारंभ के बाद से, देश भर में दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए एनएपी-एसडीपी योजना के अंतर्गत 157.52 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इसके अलावा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग छात्रवृत्ति योजना लागू कर रहा है ताकि बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोचिंग की सुविधा प्रदान की जा सके। विभाग द्वारा यह योजना राष्ट्रीय संस्थानों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाले समेकित क्षेत्रीय केंद्रों, पैनलबद्ध विश्वविद्यालयों/संस्थानों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों और दिव्यांगजन शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

योजना के शुभारंभ के बाद से, देश भर में दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग के अंतर्गत 3.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(ग): दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए भारत सरकार ने कई पहलें की हैं। ये पहलें शिक्षा, रोज़गार, सुगम्यता, वित्तीय सहायता, और सामाजिक समावेशन तक विस्तारित हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की सूची को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया; सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया; सार्वजनिक अवसंरचना, परिवहन, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आदि में सुगम्यता मानकों को अनिवार्य बना दिया। भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत देना राज्य का विषय है, फिर भी केन्द्र सरकार अपनी निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग में सहायता (एडिप): एडिप योजना दिव्यांगजनों को उनकी गतिशीलता, आत्मनिर्भरता और पुनर्वास को बढ़ाने के लिए व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग, स्मार्ट छड़ें, मोटर चालित तिपहिया वाहन और कम दृष्टि वालों के लिए सहायक उपकरण जैसे आधुनिक सहायक यंत्र और सहायक उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र लाभार्थियों को कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से निधियां वितरित की जाती है।

(ii) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):- दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत, स्वैच्छिक संगठनों/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें दृष्टि, श्रवण और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय सहित प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे भी शामिल हैं, इसका उद्देश्य उन्हें अपने इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तरों को बनाए रखने में सक्षम बनाना है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत 1,00,836 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए।

(iii) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं: विभाग छः घटकों, अर्थात् प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, टॉप क्लॉस एजूकेशन, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और निःशुल्क कोचिंग योजनाओं वाली एक व्यापक योजना 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करना और दिव्यांग छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने तथा गरिमामयी जीवन जीने में सक्षम बनाना है। पूरे भारत में निधियां सीधे छात्रों के बैंक खातों में (डीबीटी मोड के माध्यम से) वितरित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 96,572 दिव्यांग छात्र लाभान्वित हुए हैं।

(iv) **यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) योजना:** यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) योजना दिव्यांगजनों के लिए एकल डिजिटल पहचान पत्र प्रदान कराती है, जिससे सरकारी लाभों तक उनकी पहुँच सुगम होती है। यह अनावश्यक दस्तावेज़ों को समाप्त करती है, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और कल्याणकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों से जोड़कर समावेशिता को बढ़ावा देती है, जिससे दिव्यांगजनों को अधिकारों और अवसरों तक आसान पहुँच प्राप्त होती है।

(v) **सुगम्य भारत अभियान:** विभाग ने सर्वव्यापी सुगम्यता प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान के रूप में सुगम्य भारत अभियान की संकल्पना की है ताकि दिव्यांगजन समान अवसर प्राप्त कर सकें, आत्मनिर्भरता से रह सकें और एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी कर सकें। इस अभियान का लक्ष्य निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र की सुगम्यता को बढ़ाना है।

******